5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–सिंगरौली

रेस्टो० 1458-II-15

1– लोकनाथ पुत्र अंजनी प्रसाद
2– सुमन्तराम पुत्र अंजनी प्रसाद
3– त्रिभुवन पुत्र अंजनी प्रसाद
4– लल्लू प्रसाद पुत्र अंजनी प्रसाद
निवासी सहुआर तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.) .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

...... प्रतिप्रार्थी

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 10.6.15 को प्रस्तुत
10-6-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन–पत्र

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, प्रार्थीगण का प्रकरण क्रमांक 3167–II/2014 पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2015 को नियत था।

2– यहकि, नियत दिनांक 27.03.2015 को प्रार्थीगण के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। प्रार्थी अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त् था इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक 27.03.2015 को उपस्थित नहीं हो सका। और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई के तीसरे सप्ताह में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना पलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से यह आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3– यहकि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

4– यहकि, अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिंये।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि आवेदक स्वीकार प्रकरण क्रमांक 3167–II/2014 पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2015 को नियत था। पुनरीक्षण पुनः स्थापित कर गुणा गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जायें।

10/6/15

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 09/06/2015

निवेदक
1– लोकनाथ पुत्र अंजनी प्रसाद
2– सुमन्तराम पुत्र अंजनी प्रसाद
3– त्रिभुवन पुत्र अंजनी प्रसाद
4– लल्लू प्रसाद पुत्र अंजनी प्रसाद

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1458–दो/15 जिला–सिंगरोली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–7–15	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द चतुर्वेदी., अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरान्त प्रकरण में अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	